पुराने अन्याय–नई परिभाषाएं

सीमा व शांति

'आज कानूनी ढांचे में औरत की जगह हशिए पर भी नहीं है।' इस सच्चाई के होते हुए भी आज औरतों के बढ़ते कदमों को रोका नहीं जा सकता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बड़ौदा की 'नारी अदालत' है। अब सवाल उठता है कि यह नारी अदालत है क्या?

वास्तव में महिला समाख्या बड़ौदा की संघ की महिलाओं के पास गांव की बहनें अपनी-अपनी समस्या। परेशानी को लेकर आती थीं। मामला बलात्कार, छेड़छाड़ का हो या घरेलू हिंसा का हर समस्या को सब मिलकर सुनती। उससे जूझने के तरीके निकालती, परन्तु कभी किसी-किसी मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते। यह लड़ाई दोहरी थी–एक ऐसी कानूनी व्यवस्था से जहां न्याय हमेशा अगली तरीख का इन्तज़ार करता रह जाता है, ऊपर से पुलिस के हथकण्डे। अतः इन गांव की महिलाओं ने न्याय के दूसरे विकल्प ढूंढे। मिलकर न्याय करने का फैसला किया। अपनी अदालत बनाई। इसी के तहत जागोरी और जिला इकाई ने मिलकर कानूनी साक्षरता की शुरुआत की, ताकि गांव में अदालत चालने वाली औरतें कानून की अपनी पकड़ को मज़बूत कर लें। यह ट्रेनिंग करीब ग्यारह हफ़्ते चली। इसमें केवल कानूनी जानकारियां ही नहीं थीं बल्कि अपने-अपने दैनिक अनुभवों में लड़ी गई लड़ाईयां भी बांटीं। इनमें कानून से भी भारी गहरी सोच और निर्णय की समझ होती है।

देहात की अनपढ़ मगर जानकार औरतों ने खुद एक कदम उठाया– एक औरतों की अदालत की नीवं डाली। यह नारी अदालत के नाम से प्रसिद्ध है। यहां कोई भी महिला अपनी समस्या लेकर जा सकती है। यहां बगैर झिझक वह अपनी बात कह सकती है। इस तजुर्बे से औरतें सशक्त बनी हैं। बाहर की दुनिया में घूमती और काम करती नज़र आने लगी हैं। ये अदालतें और इनमें मिलने वाला इंसाफ़ बहुत लोकप्रिय हो रहा है। अब तो ऐसे गांवों से भी लोग यहां आने लगे हैं जहां महिला समाख्या काम नहीं कर रही। सरकारी अफ़सर भी इन औरतों की योग्यता को मान गए है और अब इनकी मदद भी करते हैं। नारी अदालत की इन बहनों ने आज तक करीब 327

केस सुलझाए हैं। इससे इनकी कुशलता, सोच समझ, अनुभव और ज्ञान का पता चलता है। इनकी सजाएं भी अनोखी, औरत की पहचान व उके मान-सम्मान को लेकर चलने वाली होती हैं। इसी तरह का एक फैसला महिला छेड़छाड़ के केस में यहां की नारी अदालत ने दिया।

केस कमला का था। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती है। एक दिन कमला खेत से गुजर रही थी कि गांव के चौधरी के लड़के ने उस पर पीदे से वार किया। उसने कमला पर यौनिक हमला करने की कोशिश की। कमला चीखी, जोर से चिल्लाई, हाथापाई कर अपने को छुड़ाकर भागी। किसी तरह खुद को बचाकर फटेहाल वह संघ की औरतों के पास पहुंची।

संघ की औरतों ने अपनी नारी अदालत बिठाई। इस अदालत में कमला ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो अदालत ने आपसी चर्चा के बाद कमला से पूछा कि वह क्या चाहती है। कमला कोर्ट कचहरी के झंझट से बचना चाहती थी क्योंकि उसकी मजदूरी छूट सकती थी। फिर एक मजदूर गरीब औरत अकेली कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे तो कैसे? अदालत से न्याय मिलना इतना आसान नहीं था। उसने नारी-अदालत पर अपना फैसला छोड़ दिया।

काफ़ी चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि चौधरी के बेटे का सामाजिक बहिष्कार किया जाए और साथ ही उससे 50 हजार रुपए दण्ड वसूल किया जाए। वह सारे गांव के सामने कमला और संघ की औरतों से माफ़ी मांगे। इस फैसले का गाव के ज़्यादातर लोगों ने साथ दिया। अगले दिन अदालत की बैठक में चौधरी और उसके लड़के ने कमला व अदालत से सारे गांव के सामने माफ़ी मांगी। उसने 25 हजार रुपए देते हुए प्रार्थना की कि वह मुश्किल से केवल इतना ही जुटा पाया है। अदालत ने कमला पर फैसला छोड़ दिया। तब कमला ने कहा ठीक है गांव में इसे भी रहना है और मुझे भी। बात पैसों की नहीं औरत के मान सम्मान की है। अगर आज इसे सजा नहीं मिली तो यह फिर ऐसा ही करेगा। मैं 25 हजार रुपए हर्जाने पर सहमत हूं।"

अदालत ने 25 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर चौधरी से दिलाए। इनमें से 20 हजार कमला के नाम जमा कर दिए गए। बाकी पांच हज़ार उसे नकद दे दिए गए। कमला ने पांच सौ रुपए संघ की बहनों की मदद के लिए दान दे दिए। इस तरह महिला संघ की इस नारी अदालत ने अपने फैसले से कमला के आत्मसम्मान की रक्षा की और साथ ही चौधरी के अहं पर सामाजिक चोट पहुंचाई।

अब यह साबित हो गया है कि औरतें सिर्फ न्याय मांगने वाली नहीं। वे फैसले भी दे सकती हैं। संघर्ष करने वाली अन्य औरतों को भी इससे हिम्मत और ताक़त मिलती है। औरतों में एक गौरव की भावना पनपी है। उन्हें समाज में सम्मान भी मिला है। कुछ-कुछ ज्यादा उम्र की औरतों को अब गांव वाले वकील साहब बुलाने लगे हैं– जब औरतें ये बता रही थीं तो उनके चेहरे पर फैलने वाली मुस्कुराहट देखने काबिल थी। यह गौरवमयी पहचान अपनी सूझबूझ और ताकत पर बनाई हुई है– औरत के लिए न्याय की नई परिभाषाएं गढ़ती हुई। □